माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

(पुँवारका, सहारनपुर, उ0प्र0, पिन–247120)

Website- msuniversity.ac.in Email ID – registrar@msuniversity.ac.in

पत्रांक : 1050 / 04 / प्रशा0 / MSU / 2022–23 दिनांकः 29/7/2022

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या

समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय

विषय –प्रदेश–स्तरीय एकेडमिक बैक ऑफ क्रेडिट्स–ABACUS UP पर डाटा अपलोड करते हुये पंजीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–1816 / सत्तर–3–2021, दिनांक : 09 अगस्त, 2021 एवं शासनादेश संख्या–1013 / सत्तर–3–2022, दिनांक : 19 अप्रैल, 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय द्वारा उपर्युक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार पंजीकरण किये जाने हेतु विश्वविद्यालय के पत्र संख्या – 522–29 / 04 / प्रशा0 / MSU / 2022–23, दिनांकः 26.05.2022, पत्र संख्या–847 / 04 / प्रशा0 / MSU / 2022–23, दिनांकः 28.06.2022, पत्र संख्या–973–78 / 04 / प्रशा0 / MSU / 2022–23, दिनांकः 18.07.2022 एवं पत्र संख्या–1021–28 / 04 / प्रशा0 / MSU / 2022–23 दिनांक : 25.07.2022 के द्वारा शासनादेश में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार पंजीकरण किये जाने की अपेक्षा की गई थी, किन्तु महाविद्यालयों द्वारा उक्त कार्य को गम्भीरता से नहीं लिया जा रहा है। **शासन द्वारा उपर्युक्त स्थिति पर गहरी अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये पत्र संख्या–2011 / सत्तर–3–2022–08(34) / 2020, दिनांक : 22 जुलाई, 2022 द्वारा शिक्षण संस्थानों / शिक्षकों / विद्यार्थियों का डाटा अविलम्ब ABACUS UP पोर्टल पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।**

इस सम्बन्ध में मुझे पुनः यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया ABACUS UP पोर्टल http://abacus.upsdc.gov.in पर जाकर ABACUS UP New Registration पर क्लिक करते हुये दिनांक : 31.07.2022 तक पंजीकरण प्रक्रिया पूरा करना सुनिश्चित करें। पंजीकरण करने के उपरान्त पंजीकरण फार्म डाउनलोड कर समस्त प्रविष्टियों का सत्यापन करते हुये प्रबन्धक के हस्ताक्षर एवं मोहर के साथ सम्बन्धित अनुमोदन पत्र, प्राचार्य / प्रबन्धक / शिक्षक की दशा में अनुमोदन पत्र एवं खाते से(बैंक द्वारा निर्गत) भुगतान का विवरण विश्वविद्यालय में जमा कर दिनांक : 02.08.2022 तक सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। तत्पश्चात संस्थान से सम्बन्धित आधारभूत सुविधाओं, शिक्षकों एवं छात्रा का डाटा अपलोड करते हुये उक्त प्रक्रिया अनुसार दिनांक : 10.08.2022 तक विश्वविद्यालय से सत्यापन कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में वर्तमान शैक्षिक सत्र में सम्बन्धित महाविद्यालय में प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित महाविद्यालय का होगा।

भवदीय

(वीरेन्द्र कुमार मौर्य)

कुलसचिव

प्रतिलिपि अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

01. अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।
02. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
03. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन।
04. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
05. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ / सहारनपुर।
06. सहायक कुलसचिव।
07. कुलपति कार्यालय को कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।

कुलसचिव